

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

क्र. 5724/स्था/अराज/2019

जबलपुर/दिनांक 25/07/2019

कार्यभार ग्रहण (JOINING) करने के संबंध में सूचना

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 8851/स्था/अराज/2018 जबलपुर दिनांक 15.11.2018 के तहत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्वीकृत रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों में से मेरिट आधार पर चयनित उम्मीदवार को ज्वाईनिंग लेटर रजिस्टर्ड डाक से भेजे जा रहे हैं। उम्मीदवार अपना ज्वाईनिंग लेटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता कार्यालय आकर भी प्राप्त कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। जिन पदों के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर म.प्र. में याचिकाएं विचाराधीन चल रही हैं उन पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर म.प्र. के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।

Hanu

संचालक

DIRECTOR

सुपरस्पेशलिटी अस्पताल
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल
NSCB MEDICAL COLLEGE J.BALPUR
कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

OK

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल
कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वशासी संस्था)

अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/स्व/सु.स्पे./2019/ ८७०।

जबलपुर, दिनांक- 25/07/2019

'आदेश'

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 4-31/2017/1-55 भोपाल दिनांक 14/08/2017

एवं संशोधित पत्र क्रमांक 2-1/2019/55-2, भोपाल दिनांक 24/04/2019 के तहत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय हेतु स्वीकृत पदों एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा स्वीकृत अनुसूची के अंतर्गत इस कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 8851/स्था/अराज/2018 जबलपुर दिनांक 15/11/2018 के तहत सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में रिक्त परिचारिका, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर श्री संजय कुशवाह पिता श्री रमेश चंद्र कुशवाह को कार्डियो थोरेसिक टेक्नीशियन के अनारक्षित श्रेणी के पद पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है इहें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के लेवल- 6 वेतनमान 25300/- एवं शासन द्वारा समय पर स्वीकृत महगाई भत्तों पर स्वशासी संस्था के अंतर्गत स्वशासी संवर्धन एवं संविलियन नियम 1998 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम-2018 के तहत नियमित रूप से नियुक्ति पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना में अस्थाई रूप से 1 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया जावेगा ।

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा ।
2. नियुक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अंदर अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
3. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्वावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो नियुक्ति आदेश बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
4. आपकी नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर अनुबंध पर की जायेगी यदि आपके द्वारा इस अवधि में किसी कारणवश सेवा से त्याग पत्र दिया जाता है तो आपको संस्था में तीन माह का मूल वेतन जमा कराना होगा अन्यथा यह राशि आपके भू-राजस्व से वसूल की जावेगी। इस बाबत् सम्यक रूप से रूपये 100/- की स्टांपिंग बांड (नोटरी द्वारा सत्यापित) कार्यभार ग्रहण करने के समय भरना होगा। बिना बांड के कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा ।
5. परिवीक्षा अवधि के उपरांत आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
6. इस नियुक्ति में SC/ST/OBC के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है।
8. इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
9. मादक एवं पेय उत्तेजक पदार्थ का सेवन न कर सकेंगे। यदि इस प्रकार सेवन करते हुए पाये गये तो म.प्र. सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत कर दिया जावेगा।
10. नियुक्त कर्मचारी को एक माह के भीतर पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जावेगा। पुलिस सत्यापन में या किसी अन्य प्रकार की जांच में दोषी पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त की जावेगी।
11. बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।

कृ.पृ.उ.

Hank

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR

12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीति अथवा किसी भी अवांछित गतिविधयों में भाग पूर्णतः वर्जित होगा।
13. म.प्र. शासन ए गृह विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3597/2009/दो/सी.1ए दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम ए 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
14. नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन.पी.एस.की नियमानुसार पात्रता होगी।
15. नियुक्त समस्त कर्मचारियों को कम्प्यूटर की बेसिक ज्ञान 3 माह के अंदर अर्जित करना होगा एवं इसका प्रमाण पत्र कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
16. आपकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायलय म.प्र. के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

(फोन न. 0761-2370951)

जबलपुर, दिनांक- २५/०७/२०१९

पृ.क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2019- ५७०१

प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर।
3. कलेक्टर, जिला-जबलपुर की ओर।
4. संचालक, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
6. स्थानीय लेखा शाखा की ओर।
7. श्री/श्रीमति/कु.....
..... की ओर।

DIRECTOR
 SUPER SPECIALITY HOSPITAL
 NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

(फोन न. 0761-2370951)

कृ.पृ.उ.